



मुख्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Employees' State Insurance Corporation

पंचदीप भवन, नई दिल्ली -110002



संख्या: ई-13/12/3/2019-ज.स.

दिनांक: 28.01.2019

प्रेस विज्ञप्ति

ई. एस. आई. अस्पताल, बीकानेर का शिलान्यास

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार द्वारा आज दिनांक 28 जनवरी, 2019 को ई एस आई अस्पताल, बीकानेर का शिलान्यास किया गया। श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय संसदीय मामले, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्य मंत्री, भारत सरकार इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। श्री टीकाराम जुली, माननीय श्रम विभाग (स्वतंत्र प्रभार), कारखाना और बायलर्स निरीक्षण विभाग (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता विभाग एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार समारोह की अध्यक्षता की।

इस सुअवसर पर श्री नारायण चोपड़ा, माननीय महापौर, नगर निगम, बीकानेर एवं श्री लक्ष्मी नारायण, माननीय पार्षद, नगर निगम बीकानेर एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति व् अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

श्री संतोष गंगवार, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार ने सम्बोधन में कहा कि प्रारंभ में यह अस्पताल 30 बिस्तरों का होगा जिसका भविष्य में 100 बिस्तरों में विस्तार किया जाएगा। निर्माण के बाद, इस अस्पताल में बीमित व्यक्तियों को आपातकालीन, ओ पी डी, वार्ड, लैबोरेटरी, ऑपरेशन थियेटर, मातृत्व सेवाएँ, इत्यादि आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। यह अस्पताल बीकानेर और आसपास के- इलाकों के ई एस आई योजना के बीमितों और उनके परिवारों के सदस्यों की स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।

राजस्थान में 58,080 नियोज्यता, 13.98 लाख बीमाकृत व्यक्ति/परिवार इकाइयाँ व्याप्त हैं तथा कुल लाभार्थियों की संख्या लगभग 54.24 लाख है। प्रदेश में जयपुर, भिवाडी एवं अलवर में 03 क.रा.बी. निगम अस्पतालो तथा जोधपुर, पाली, भीलवाडा एवं कोटा में क. रा. बी. योजना अस्पतालो, 74 औषधालयों, 02 डी. सी. बी. के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। नव-कार्यन्वित क्षेत्रों में भी 34 निजी अस्पतालो/आई. एम. पी. के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त बीमितों एवं उनके परिवारों को प्राथमिक, दिवतीयक एवं अति विशिष्ट चिकित्सा उपचार के लिए 27 निजी अस्पतालों से टाई - उप किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि इ एस आई सी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिनमें जिन ESIC Hospitals में स्वास्थ्य सुविधाओं का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, उन्हें Non-IPs के लिए खोल दिया जाना है। ऐसे स्थानों में राजस्थान के अलवर, बिहटा, पटना (बिहार) गुलबर्गा (कर्नाटक) इत्यादि के हॉस्पिटल हैं जहां पर IPs तथा उनके आश्रितों के साथ साथ आम जनता भी बहुत ही साधारण शुल्क देकर तमाम मेडिकल सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए कंसल्टेशन का चार्ज मात्र ₹10 तथा आईपीडी के लिए सीजीएचएस दर का 25% मात्र चार्ज लिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त IPs एवं Non-IPs की स्वास्थ्य की देखभाल में कर्मचारियों के अभाव की समस्या ना आए, इसके लिए ESIC में Doctors एवं Para-medical staff इत्यादि के लगभग 5000 से अधिक पदों पर नौकरी हेतु विज्ञापन निकाला गया है। अभी हाल में ही ESIC द्वारा एक नई स्कीम **अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना** को भी मंजूरी दी गई है जिसके अंतर्गत बेरोजगार होने की स्थिति में या नई नौकरी खोजने की स्थिति में राहत राशि उनके बैंक अकाउंट में सीधा क्रेडिट किया जाएगा।

मंत्री महोदय ने कहा कि श्रम मंत्रालय असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना के बारे में भी बताया जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इत्यादि है।

इस अवसर पर, **श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय संसदीय मामले, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्य मंत्री, भारत सरकार जो इस समारोह के मुख्य अतिथि** थे ने बीकानेर में ई एस आई अस्पताल के निर्माण की मंजूरी के लिए श्री संतोष कुमार गंगवार, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार का धन्यवाद दिया।

श्री टीकाराम जुली, माननीय श्रम विभाग (स्वतंत्र प्रभार), कारखाना और बायलर्स निरीक्षण विभाग (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता विभाग एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार ने कहा कि यह अस्पताल बीकानेर एवं इसके आस पास के क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने भी श्री संतोष कुमार गंगवार को धन्यवाद दिया।

भारत मे कर्मचारी राज्य बीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारियों को रोजगार के दौरान लगी चोट, बीमारी, मृत्यु, निशक्तता आदि जैसे हालातो मे नगद हितलाभ तथा उचित चिकित्सा सुविधा जैसी व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन हैं। क रा बी योजना उन कारखानों एवं प्रतिष्ठानों मे लागू हैं, जहाँ 10 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। उपयुक्त श्रेणियों के कारखानों एवं प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो रु 21,000/- तक प्रतिमाह वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे क रा बी अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा व्यापति एवं अन्य हितलाभ पाने के हकदार हैं। पूरे देश मे 10.33 लाख कारखानों एवं प्रतिष्ठानों मे क रा बी योजना लागू हैं, जिससे लगभग 3.43 करोड़ बीमाकृत व्यक्ति/परिवार एकको को योजना के हितलाभ मिल रहे हैं। परिणामस्वरूप क रा बी योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या 13.32 करोड़ से अधिक हो गई है। सन 1952 मे अपनी शुरुआत से, क रा बी निगम अब तक 154 अस्पतालों, 1500/148 औषधालयों/आईएसएम एकको, 815 शाखा/भुगतान कार्यालयों एवं 64 क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना कर चुका है।
